

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार धिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./98/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/181

1. चांदा पत्नि सुरजकरण जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. महादेव पुत्र लछमन जाति जाट निवासी करांटी तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील-भिनाय
जिला-अजमेर।

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-16.07.2025

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शिवचरण चौधरी
2. पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 630 में दर्ज खसरा संख्या 1826 रकबा 1.40, खसरा नं. 566 रकबा 0.55, कुल किता 02 कुल रकबा 1.95 हैक्ट जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब देते हुए, प्रश्नगत आराजीयात को खातेदारी आराजीयात बताकर, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए, कथन किये गये कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की खातेदारी आराजी है जिसमें प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जा काशत बताते हुए, प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब अनुसार कथन दौहराये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम करांटी के खाता संख्या 630 संवत् 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। दोराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपना कब्जा काशत होना बताया है। जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। अतः वाद अवलोकन एवं मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा करांटी पटवार क्षेत्र करांटी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 630 में दर्ज खसरा संख्या 1826 रकबा 1.40, खसरा नं. 566 रकबा 0.55, कुल किता 02 कुल रकबा 1.95 हैक्ट हेतु नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थीगणों की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगद्दी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, अजमेर
भिनाय (अजमेर)